



# उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग

विज्ञापन संख्या  
ए-5/ई-1/2023  
दिनांक 19.09.2023

## अपर निजी सचिव परीक्षा—2023

ऑनलाइन आवेदन प्रारम्भ होने की तिथि : 19.09.2023

ऑनलाइन आवेदन स्वीकार (Submit) किये जाने की अन्तिम तिथि : 19.10.2023

ऑनलाइन परीक्षा शुल्क बैंक में जमा करने की अन्तिम तिथि : 19.10.2023

### महत्वपूर्ण

- (1) (i) ऑनलाइन आवेदन करने से पूर्व अभ्यर्थियों को O.T.R. पंजीकरण (O.T.R.Registration) कर O.T.R. नम्बर प्राप्त करना अनिवार्य है।
- (ii) ओटीआर० नम्बर के अभाव में ऑनलाइन आवेदन सबमिट नहीं किया जा सकता है।
- (iii) ऐसे अभ्यर्थी जिन्होंने ओटीआर० नम्बर प्राप्त नहीं किया है वे ऑनलाइन आवेदन करने के 72 घण्टे पूर्व आयोग की वेबसाइट <https://otr.pariksha.nic.in> से ओटीआर० नम्बर प्राप्त कर लें।
- (iv) ओटीआर० नम्बर प्राप्त करने के उपरान्त ही आयोग की वेबसाइट <https://uppsc.up.nic.in> पर ऑनलाइन आवेदन सबमिट किया जा सकता है।

- (2) अपूर्ण ऑन-लाइन आवेदन—पत्र निरस्त कर दिये जायेंगे और इस सम्बन्ध में कोई भी प्रत्यावेदन स्वीकार नहीं किया जायेगा।
- (3) किसी भी स्तर पर परीक्षणोपरांत यदि यह तथ्य प्रकाश में आता है कि अभ्यर्थी द्वारा कोई सूचना छिपाइ गई है अथवा गलत भरी गई है, तो उसका अभ्यर्थन निरस्त कर दिया जायेगा तथा आगामी परीक्षाओं/चयनों से उसे डिबार किये जाने की कार्यवाही की जायेगी।
- (4) अभ्यर्थियों को निर्देशित किया जाता है कि वे ऑनलाइन आवेदन करते समय सभी चरणों (यथा—O.T.R., फाइल सबमिशन, फीस भुगतान, अर्हता से संबंधित संशोधन / त्रुटि सुधार इत्यादि) की सूचनाएं सापेक्ष व हार्ड कापी के रूप में भविष्य हेतु संरक्षित करना सुनिश्चित करें।
- (5) अभ्यर्थियों को यह स्पष्ट किया जाता है कि परीक्षा के प्रथम चरण के स्तर पर वे अपने अभिलेख एवं ऑनलाइन आवेदन सम्बन्धी हार्ड कापी आयोग को प्रेषित न करें।
- (6) अभ्यर्थियों को अपने ऑन-लाइन आवेदन की हार्ड कापी के साथ ऑन-लाइन आवेदन में किये गये समस्त दावों के समर्थन में समस्त प्रमाण पत्रों की स्वप्रमाणित प्रतियां आयोग के निर्देशानुसार यथा समय संलग्न कर प्रस्तुत करना होगा। इस सम्बन्ध में आयोग द्वारा पृथक से प्रेस विज्ञप्ति के माध्यम से सूचित किया जायेगा।

**विशेष सूचना :-** (क) आवेदन 'Submit' करने का सम्पूर्ण दायित्व अभ्यर्थी का होगा। बैंक में शुल्क जमा करने की अन्तिम तिथि तक शुल्क जमा करने के बाद ही आवेदन पत्र स्वीकार किया जायेगा। (ख) O.T.R. के साथ रजिस्टर मोबाइल नम्बर और e-mail ID पर भविष्य में सभी सूचनायों/निर्देश एसएमएस द्वारा अथवा e-mail पर प्रेषित किये जायेंगे। अभ्यर्थियों को यह भी निर्देशित किया जाता है कि वे आयोग की वेबसाइट का अनवरत अवलोकन करते रहेंगे।

### ऑनलाइन आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों के लिये आवश्यक सूचना

यह विज्ञापन आयोग की Website <https://uppsc.up.nic.in> पर भी उपलब्ध है। इस विज्ञापन में आवेदन करने हेतु "OTR धारित ON-LINE APPLICATION SYSTEM" लागू है। अन्य किसी माध्यम से प्रेषित आवेदन स्वीकार नहीं किये जायेंगे। अतएव अभ्यर्थी ऑन-लाइन आवेदन ही करें।

"ऑन-लाइन आवेदन" करने के सम्बन्ध में अभ्यर्थियों से अपेक्षित है कि वे निम्नलिखित निर्देशों को भली-भाँति समझ लें और तदनुसार आवेदन करें—

1-आयोग की वेबसाइट <https://uppsc.up.nic.in> पर "ALL NOTIFICATIONS / ADVERTISEMENTS" अभ्यर्थी द्वारा Click करने पर 'ON-LINE ADVERTISEMENTS' स्वतः प्रदर्शित होंगे, जिसमें निम्नलिखित तीन भाग हैं—

- (i) User Instructions
- (ii) View Advertisement
- (iii) Apply

User Instructions में अभ्यर्थियों को ऑन-लाइन फार्म भरने से सम्बन्धित दिशा—निर्देश दिये गये हैं। अभ्यर्थी इनमें से जिस विज्ञापन को देखना चाहें, उसके सामने "View Advertisement" को Click करें। तत्पचात् पूरे विज्ञापन के साथ ऑन-लाइन आवेदन की प्रक्रिया से सम्बन्धित Sample Snapshots भी प्रदर्शित होंगे।

"ऑन-लाइन आवेदन" करने का कार्य निम्नांकित चार स्तरों पर किया जायेगा—

**प्रथम चरण – APPLY** Click करने पर परीक्षा के सापेक्ष 'Authenticate with O.T.R.' प्रदर्शित होगा तथा 'Authenticate with O.T.R.' पर Click करने के उपरान्त 'Have You Completed your O.T.R. Registration' प्रदर्शित होगा, जिसमें अभ्यर्थी को 'Yes' अथवा 'No' पर Tick करना होगा। अभ्यर्थी यह—

- (i) 'Yes' पर Tick करने के पश्चात 'Go' बटन पर Click करता है तो 'Enter your O.T.R. Number' प्रदर्शित होगा जिसमें उसे 'O.T.R. Number' भरकर 'Proceed' बटन पर Click करना होगा। 'Proceed' बटन पर Click करने के पश्चात 'Click here to Authenticate' प्रदर्शित होगा, जिस पर Click करके अभ्यर्थी प्राप्त O.T.P. (रजिस्टर मोबाइल नं०/ई-मेल पर) अथवा O.T.R. पासवर्ड के माध्यम से Authentificate कर सकते हैं। Authentication की प्रक्रिया पूर्ण करने के पश्चात् अभ्यर्थी की समस्त व्यक्तिगत सूचनायें (जैसा कि O.T.R. में भरी गयी हैं।) स्वतः प्रदर्शित होंगी। अभ्यर्थी को केवल सम्बन्धित पद के लिए अपेक्षित अनिवार्य अर्हता ही

भरनी होगी। (ii) 'No' पर Tick करने के पश्चात 'Go' बटन पर Click करता है तो— a. सर्वप्रथम आवेदन को आयोग के ओ.टी.आर. वेब पोर्टल <https://otr.pariksha.nic.in> से एकल अवसरीय पंजीकरण संख्या (ओ.टी.आर. नम्बर) प्राप्त करना होगा। b. ओ.टी.आर. नम्बर प्राप्त करने के पश्चात् प्रथम चरण में वर्तित प्रक्रियानुसार अभ्यर्थी को ऑनलाइन आवेदन करना होगा।

**द्वितीय चरण—** प्रथम चरण की प्रक्रिया पूरी करने के पश्चात् स्क्रीन पर अभ्यर्थी का पता OTR से स्वतः प्रदर्शित होगा एवं साथ ही पद से सम्बन्धित अधिमानी अर्हतायें भी प्रदर्शित होंगी। अभ्यर्थी को विज्ञापित पद के लिये निर्धारित की गयी अधिमानी अर्हताओं के सम्मुख कालम में Yes या No का चुनाव करना होगा।

**तृतीय चरण—** द्वितीय चरण की प्रक्रिया पूरी करने के पश्चात् स्क्रीन पर 'Click here to proceed for payment' कैरेंज के साथ 'Fees to be deposited [in INR]' प्रदर्शित होगा। उक्त कैरेंज पर विलक करने के पश्चात् स्टेट बैंक 'MOPS (Multi option payment system)' का Home page प्रदर्शित होगा जिस पर भुगतान के तीन माध्यम (Mode) प्रदर्शित होंगे—

(i) NET BANKING (ii) CARD PAYMENTS (iii) OTHER PAYMENT MODES. उक्त माध्यमों में से किसी एक माध्यम द्वारा निर्धारित शुल्क जमा करने के पश्चात Payment Acknowledgement Receipt (PAR) प्रदर्शित होगा जिसमें शुल्क जमा करने का पूरा विवरण अंकित रहेगा, इसका प्रिन्ट 'Print Payment Receipt' पर विलक करके प्राप्त कर लें। 'Payment Failed' होने की स्थिति में अभ्यर्थी 'Candidate Dashboard' में जाकर O.T.R. नम्बर भरने के उपरान्त O.T.P. अथवा O.T.R. Password के माध्यम से authenticate और 'Pending Payment' पर Click कर ऑनलाइन आवेदन हेतु अनिवार्य रूप से शुल्क भुगतान करें।

**चूतीय चरण—** तृतीय चरण की प्रक्रिया पूरी करने के पश्चात् अभ्यर्थी OTR Dashboard में जाकर ऑनलाइन आवेदन का प्रिन्ट भी प्राप्त कर सकता है। यदि अभ्यर्थी द्वारा ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया पूरी नहीं की जाती है तो उसका अभ्यर्थन स्वीकार नहीं किया जायेगा एवं सम्पूर्ण दायित्व अभ्यर्थी का होगा। अभ्यर्थी को ऑनलाइन आवेदन का प्रिन्ट लेकर इसे अपने पास सुरक्षित रखना होगा। किसी विसंगति की दशा में उक्त प्रिन्ट आयोग कार्यालय में अभ्यर्थी को प्रस्तुत करना होगा अन्यथा अभ्यर्थी का अनुरोध/दावा स्वीकार नहीं किया जायेगा। आवेदनोपरान्त अनिवार्य अर्हता में कोई त्रुटि प्राप्त होने की स्थिति में 'Home Page' के 'Candidate Dashboard (O.T.R. Based)' के Modify Application' पर Click कर आवेदित पद की अनिवार्य व अधिमानी अर्हता में कोई त्रुटि प्रस्तुत करना होता है।

**2- आवेदन शुल्क—** ऑन लाइन आवेदन की प्रक्रिया में प्रथम एवं द्वितीय चरण की कार्यवाही पूर्ण करने के पश्चात् तृतीय चरण में दिये गये निर्देशों के अनुसार ऑनलाइन आवेदन पत्र करने की अनिवार्य व अधिमानी अर्हता में उक्त प्रिन्ट आयोग कार्यालय में अनिवार्य व अधिमानी अर्हता में कोई त्रुटि प्रस्तुत होता है।

**2- आवेदन शुल्क—** ऑन लाइन आवेदन की प्रक्रिया में प्रथम एवं द्वितीय चरण की कार्यवाही पूर्ण करने के पश्चात् तृतीय चरण में दिये गये निर्देशों के अनुसार ऑनलाइन आवेदन पत्र करने की अनिवार्य व अधिमानी अर्हता में उक्त प्रिन्ट होता है।

**3- आवेदन पत्र करने की अनिवार्य व अधिमानी अर्हता में कोई त्रुटि प्रस्तुत होता है।**

**4- आवेदन पत्र करने की अनिवार्य व अधिमानी अर्हता में कोई त्रुटि प्रस्तुत होता है।**

**5- आवेदन पत्र करने की अनिवार्य व अधिमानी अर्हता में कोई त्रुटि प्रस्तुत होता है।**

**6- आवेदन पत्र करने की अनिवार्य व अधिमानी अर्हता में कोई त्रुटि प्रस्तुत होता है।**

**7- आवेदन पत्र करने की अनिवार्य व अधिमानी अर्हता में कोई त्रुटि प्रस्तुत होता है।**

**8- आवेदन पत्र करने की अनिवार्य व अधिमानी अर्हता में कोई त्रुटि प्रस्तुत होता है।**

**9- आवेदन पत्र करने की अनिवार्य व अधिमानी अर्हता में कोई त्रुटि प्रस्तुत होता है।**

अभ्यर्थियों को भी विद्यमान शासकीय नियमों के अनुसार रिक्तियां बनने पर आरक्षण अनुमन्य होगा। उ0प्र० के समाज के दिव्यांग अभ्यर्थियों के लिये शासन द्वारा अधिसूचित (चिन्हित) किये गये पदों पर रिक्तियां बनने पर आरक्षण अनुमन्य होगा।

**नोट—** (1) उ0प्र० के समाज के दिव्यांग अभ्यर्थियों के लिये शासन द्वारा अधिसूचित (चिन्हित) किये गये पदों पर चयन के संबंध में जारी कार्यालय ज्ञाप सं0 5 / 2022 / 18 / 1 / 2008 / 47 / का-2 / 2022 दिनांक 18 अप्रैल, 2022 के बिंदु-5 (अनारक्षित रिक्तियों पर नियुक्ति) में प्राविधान निम्नानुसार किया गया है— दिव्यांगता से ग्रस्त व

क्र. सं.	पद का नाम	विभाग का नाम	विभाग / शैक्षिक अर्हताएँ
1	अपर निजी सचिव	उ0प्र० सचिवालय	<p>सेवा में किसी पद पर सीधी भर्ती के लिये अभ्यर्थी की निम्नलिखित अर्हतायें होनी आवश्यक हैं:-</p> <p>(एक) भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से स्नातक की उपाधि या सरकार द्वारा उसके समकक्ष मान्यता प्राप्त अर्हता;</p> <p>(दो) हिन्दी आशुलेखन में न्यूनतम असीम शब्द प्रति मिनट की गति और कम्प्यूटर पर हिन्दी टंकण में न्यूनतम पच्चीस शब्द प्रति मिनट की गति होनी आवश्यक है;</p> <p>(तीन) निमानुसार कम्प्यूटर का ज्ञान होना आवश्यक है:-</p> <p>एन०आई०ई०एल०आई०टी० से सर्टिफिकेट कोर्स इन कम्प्यूटिंग (सी०सी०सी०) अथवा सरकारी संस्थान/सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय/संस्था से समकक्ष पाठ्यक्रम।</p> <p>अधिमानी अर्हताएँ - अन्य बातों के समान होने पर सीधी भर्ती के मामले में ऐसे अभ्यर्थी को अधिमान दिया जायेगा जिसने :-</p> <p>(एक) प्रदेशिक सेना में न्यूनतम दो वर्ष की अवधि तक सेवा की हो, या (दो) राष्ट्रीय कैडेट कोर का "बी" प्रमाण-पत्र प्राप्त किया हो।</p>
2	अपर निजी सचिव	उ0प्र० लोक सेवा आयोग	<p>(एक) भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से स्नातक की उपाधि या सरकार द्वारा उसके समकक्ष मान्यता प्राप्त अर्हता धारित करना आवश्यक है।</p> <p>(दो) हिन्दी आशुलेखन में न्यूनतम 80 शब्द प्रति मिनट और हिन्दी टंकण में 25 शब्द प्रति मिनट की गति धारित करना आवश्यक है।</p> <p>(तीन) निमानुसार कम्प्यूटर का ज्ञान होना आवश्यक है:-</p> <p>(क) डी.ओ.ई.ए.सी.सी. सोसाइटी द्वारा संचालित सर्टिफिकेट कोर्स इन कम्प्यूटिंग (सी.सी.सी.) के लिए विहित पाठ्यक्रम</p> <p>या</p> <p>(ख) माध्यमिक शिक्षा परिषद, उ0प्र० द्वारा संचालित पाठ्यक्रम या सरकार द्वारा उसके समकक्ष मान्यता प्राप्त कोई पाठ्यक्रम।</p> <p>अधिमानी अर्हताएँ - अन्य बातों के समान होने पर सीधी भर्ती के मामले में ऐसे अभ्यर्थी को अधिमान दिया जायेगा जिसने :-</p> <p>(एक) प्रदेशिक सेना में न्यूनतम दो वर्ष की अवधि तक सेवा की हो, या (दो) राष्ट्रीय कैडेट कोर का "बी" प्रमाण-पत्र प्राप्त किया हो।</p>
3	अपर निजी सचिव	उ0प्र० राजस्व परिषद	<p>(i) भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से स्नातक उपाधि या सरकार द्वारा उसके समकक्ष मान्यता प्राप्त कोई अर्हता।</p> <p>(ii) हिन्दी आशुलेखन में और हिन्दी टंकण में क्रमशः 80 शब्द प्रति मिनट और 25 शब्द प्रति मिनट की न्यूनतम गति होना आवश्यक है।</p> <p>(iii) (क) डोयेक (डी.ओ.ई.ए.सी.सी.) सोसाइटी द्वारा संचालित सर्टिफिकेट कोर्स इन कम्प्यूटिंग (सी.सी.सी.) के लिए विहित पाठ्यक्रम</p> <p>या</p> <p>(ख) माध्यमिक शिक्षा परिषद, उ0प्र० द्वारा संचालित पाठ्यक्रम या सरकार द्वारा उसके समकक्ष मान्यता प्राप्त पाठ्यक्रम, के अनुसार कम्प्यूटर का ज्ञान होना आवश्यक है।</p> <p>टिप्पणी- अंग्रेजी आशुलेखन तथा अंग्रेजी टंकण का ज्ञान रखने वाले अभ्यर्थी को अधिमान दिया जायेगा।</p> <p>अधिमानी अर्हताएँ - अन्य बातों के समान होने पर सीधी भर्ती के मामले में ऐसे अभ्यर्थी को अधिमान दिया जायेगा जिसने :-</p> <p>(एक) प्रदेशिक सेना में न्यूनतम दो वर्ष की अवधि तक सेवा की हो, या (दो) राष्ट्रीय कैडेट कोर का "बी" प्रमाण-पत्र प्राप्त किया हो।</p>

नोट:- 1. भारत में विधि द्वारा स्थापित विश्वविद्यालय की स्नातक उपाधि के समकक्ष अर्हता के संबंध में जारी शासनादेश संख्या-03/2023/312/47-का-2-312एलसी/2022 दिनांक 19.07.2023 का प्रवर्तनीय अंश निम्नवत है:-

..... 3- पर्युत समर्था के निवारण के संदर्भ में सम्यक विचारोपान्त निर्णय लिये गये हैं:-

(1)- ऐसे प्रकरणों में जहां तकनीकी प्रृष्ठि के पद किसी विभाग की सेवा नियमावली में विद्यमान है तथा उनके लिए सामान्य स्नातक की अर्हता के स्थान पर कोई विशिष्ट अर्हता एवं उसके समकक्ष अर्हता अथवा किसी विशिष्ट शाखा व उपशाखा में स्नातक की निर्धारित गति गई है, वहां विहित अर्हता के समकक्ष अर्हता का निर्धारण संबंधित विभाग द्वारा किया जायेगा।

(2)- उक्त विन्दु संख्या-1 से आछादित प्रकरणों को छोड़कर जिस किसी विभाग की नियमावली में अर्हता सामान्य स्नातक और उसके समकक्ष अर्हता निर्धारित की गई है, उक्त के संबंध में निमानुसार कार्यवाही सुनिश्चित की जाये:-

(1) केन्द्र अथवा किसी राज्य सरकार द्वारा विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय/डीड विश्वविद्यालय अथवा संस्थान द्वारा अद्ययन की किसी भी शाखा में यदि स्नातक की उपाधि प्रदान की गई है तो उक्त समस्त उपाधियों स्नातक के रूप में मान्य होगी।

(2) मानव संसाधन विकास मंत्रालय (शिक्षा मंत्रालय), भारत सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त विभिन्न व्यवसायिक निकायों/संस्थानों द्वारा संचालित तकनीकी पाठ्यक्रमों में प्रदान की गई स्नातक-स्तर की उपाधियों मानव संसाधन विकास मंत्रालय (शिक्षा मंत्रालय), तथा अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद (AICTE) द्वारा समय-समय पर निर्गत दिशा-निर्देशों के अधीन स्नातक के समकक्ष मान्य किए जायेंगे।

(3) किसी प्रकार के असमंजस की स्थिति में केन्द्र सरकार/संबंधित राज्य सरकार/विनियामक निकायों से, जैसी भी स्थिति हो, संबंधित आयोगों द्वारा

जानकारी प्राप्त की जा सकती है।

(4) उपर्युक्त समतुल्यता केवल उ0प्र० राज्य में लोक सेवा आयोग/अधीनस्थ सेवा आयोग एवं अन्य भर्ती संस्थाओं द्वारा सेवा-नियमावलियों में विहित स्नातक एवं समकक्ष अर्हता के लिए मान्य होगा।

**2. Certificate course in computing (CCC)** की समकक्षता विषयक कार्यक्रम विभाग के शासनादेश संख्या-2/2018/3/1/2015-का-2, दिनांक 05.07.2018 के अनुसार कम्प्यूटर में उच्च योग्यताधारी, यथा-कम्प्यूटर में डिल्सोमा, डिग्री, पी०जी०डी०सी००७, बी०सी०१०, एम०सी०१० तथा गेज्युएशन अथवा उच्च डिग्री यथा- (बी०१०, बी०१०स०१०, बी०१०ट०१, एम०१०स०१०, एम०१०बी०१०) में कम्प्यूटर एक विषय के रूप में अथवा एक सेमेस्टर में कम्प्यूटर कोर्स धारित करने वाले अभ्यर्थियों को भी चयन हेतु अर्ह माना गया है।

3-अपर निजी सचिव, उ0प्र० लोक सेवा आयोग परिषद की विधि द्वारा स्थापित किसी संस्थान/सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त अर्हता धारित करना आवश्यक है।

(एक) भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी संस्थान/सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त अर्हता धारित करना आवश्यक है।

(दो) हिन्दी आशुलेखन में न्यूनतम 80 शब्द प्रति मिनट और हिन्दी टंकण में 25 शब्द प्रति मिनट की गति धारित करना आवश्यक है।

(तीन) निमानुसार कम्प्यूटर का ज्ञान होना आवश्यक है:-

(क) डी.ओ.ई.ए.सी.सी. सोसाइटी द्वारा संचालित सर्टिफिकेट कोर्स इन कम्प्यूटिंग (सी.सी.सी.) के लिए विहित पाठ्यक्रम

या

(ख) माध्यमिक शिक्षा परिषद, उ0प्र० द्वारा संचालित पाठ्यक्रम या सरकार द्वारा उसके समकक्ष मान्यता प्राप्त कोई पाठ्यक्रम।

अधिमानी अर्हताएँ - अन्य बातों के समान होने पर सीधी भर्ती के मामले में ऐसे अभ्यर्थी को अधिमान दिया जायेगा जिसने :-

(एक) प्रदेशिक सेना में न्यूनतम दो वर्ष की अवधि तक सेवा की हो, या (दो) राष्ट्रीय कैडेट कोर का "बी" प्रमाण-पत्र प्राप्त किया हो।

जानकारी प्राप्त की जा सकती है।

(4) उपर्युक्त समतुल्यता केवल उ0प्र० राज्य में लोक सेवा आयोग/अधीनस्थ सेवा आयोग एवं अन्य भर्ती संस्थाओं द्वारा सेवा-नियमावलियों में विहित स्नातक एवं समकक्ष अर्हता के लिए मान्य होगा।

**2. Certificate course in computing (CCC)** की समकक्षता विषयक कार्यक्रम विभाग के शासनादेश संख्या-2/2018/3/1/2015-का-2, दिनांक 05.07.2018 के अनुसार कम्प्यूटर में उच्च योग्यताधारी, यथा-कम्प्यूटर में डिल्सोमा, डिग्री, पी०जी०डी०सी००७, बी०सी०१०, एम०सी०१० तथा गेज्युएशन अथवा उच्च डिग्री यथा- (बी०१०, बी०१०स०१०, बी०१०ट०१, एम०१०स०१०, एम०१०बी०१०) में कम्प्यूटर एक विषय के रूप में अथवा एक सेमेस्टर में कम्प्यूटर कोर्स धारित करने वाले अभ्यर्थियों को भी चयन हेतु अर्ह माना गया है।

3-अपर निजी सचिव, उ0प्र० लोक सेवा आयोग परिषद की विधि द्वारा स्थापित किसी संस्थान/सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त अर्हता धारित करना आवश्यक है।

(एक) भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी संस्थान/सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त अर्हता धारित करना आवश्यक है।

(दो) हिन्दी आशुलेखन में न्यूनतम 80 शब्द प्रति मिनट और हिन्दी टंकण में 25 शब्द प्रति मिनट की गति धारित करना आवश्यक है।

(तीन) निमानुसार कम्प्यूटर का ज्ञान होना आवश्यक है:-

(क) डी.ओ.ई.ए.सी.सी. सोसाइटी द्वारा संचालित सर्टिफिकेट कोर्स इन कम्प्यूटिंग (सी.सी.सी.) के लिए विहित पाठ्यक्रम

या

(ख) माध्यमिक शिक्षा परिषद, उ0प्र० द्वारा संचालित पाठ्यक्रम या सरकार द्वारा उसके समकक्ष मान्यता प्राप्त कोई पाठ्यक्रम।

अधिमानी अर्हताएँ - अन्य बातों के समान होने पर सीधी भर्ती के मामले में ऐसे अभ्यर्थी को अधिमान दिया जायेगा जिसने :-

(एक) प्रदेशिक सेना में न्यूनतम दो वर्ष की अवधि तक सेवा की हो, या (दो) राष्ट्रीय कैडेट कोर का "बी" प्रमाण-पत्र प्राप्त किया हो।

जानकारी प्राप्त की जा सकती है।

(4) उपर्युक्त समतुल्यता केवल उ0प्र० राज्य में लोक सेवा आयोग/अधीनस्थ सेवा आयोग एवं अन्य भर्ती संस्थाओं द्वारा सेवा-नियमावलियों में विहित स्नातक एवं समकक्ष अर्हता के लिए मान्य होगा।

**2. Certificate course in computing (CCC)** की समकक्षता विषयक कार्यक्रम विभाग के शासनादेश संख्या-2/2018/3/1/2015-का-2, दिनांक 05.07.2018 के अनुसार कम्प्यूटर में उच

का प्रिन्ट प्राप्त कर लें और इसे सुरक्षित रखें। किसी विसंगति की दशा में अभ्यर्थी को उक्त प्रिन्ट आयोग कार्यालय को प्रस्तुत करना होगा अन्यथा अभ्यर्थी का अनुरोध स्वीकार नहीं किया जायेगा।

3—आरक्षण/आयु सीमा में छूट का लाभ चाहने वाले अभ्यर्थी सम्बन्धित अरक्षित श्रेणी के समर्थन में इस विस्तृत विज्ञापन में मुद्रित निर्धारित प्रारूप पर (परिशिष्ट-2) सक्षम अधिकारी द्वारा जारी प्रमाण पत्र प्राप्त कर लें एवं जब उनसे अपेक्षा की जाये तब वे उसे आयोग को प्रस्तुत करें। एक से अधिक आरक्षित श्रेणी/आयु सीमा में छूट का दावा करने वाले अभ्यर्थीयों को केवल एक छूट, जो अधिक लाभकारी होगी, दी जायेगी। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, अर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के आश्रित, दिव्यांगता से ग्रस्त, भूतपूर्व सैनिक तथा उत्कृष्ट/कुशल खिलाड़ियों को जो उठप्रो राज्य के मूल निवासी नहीं हैं, उन्हें आरक्षण/आयु सीमा का लाभ अनुमत्य नहीं है। महिला अभ्यर्थियों के मामले में पिता पक्ष से निर्गत जाति प्रमाण—पत्र ही मान्य होंगे।

4—आयोग अभ्यर्थियों को उनकी पात्रता के सम्बन्ध में कोई परामर्श नहीं देते हैं, इसलिए उन्हें विज्ञापन का सावधानीपूर्वक अध्ययन करना चाहिए और तभी आवेदन करें जब सतुष्ट हों जायें कि वे विज्ञापन की शर्तों के अनुसार अर्ह हैं। अभ्यर्थियों को पद के लिए वांछित सभी अर्हताएं आवेदन पत्र स्वीकार किये जाने की अंतिम तिथि तक अवश्य धारित करनी चाहिए।

5—स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के आश्रितों की श्रेणी में केवल पुरुष, मुख्य तथा पौत्र (पुत्र का पुत्र/पुत्री का पुत्र) एवं पौत्रियां (पुत्र की पुत्री/पुत्री की पुत्री, विवाहित/अविवाहित) ही आते हैं। इस श्रेणी के अभ्यर्थी आरक्षण विषयक प्रमाण—पत्र शासनादेश संख्या—453/79—वी—1—15—1(का) 14—2015, दिनांक 07.04.2015 द्वारा निर्धारित प्रारूप पर जिलाधिकारी से प्राप्त कर प्रस्तुत करें।

6—किसी कदाचार, किसी महत्वपूर्ण सूचना को छिपाने, अभियोजन/आपाराधिक वाद लंबित होने, दोष सिद्ध होने, एक से अधिक जीवित पति या पत्नी के होने, तथ्यों को गलत प्रस्तुत करने तथा अभ्यर्थन/चयन के सम्बन्ध में सिफारिश करने आदि कृत्यों में लिप्त पाये जाने पर अभ्यर्थन निरस्त करने तथा आयोग की प्रश्नगत परीक्षा व आगामी परीक्षाओं एवं चयनों से प्रतिवारित (Debar) करने का अधिकार आयोग को होगा।

7—परीक्षा हेतु जिलों की सूची परिशिष्ट—1 पर, आरक्षण सम्बन्धी प्रमाण पत्रों का प्रारूप परिशिष्ट—2 पर तथा परीक्षा की योजना एवं पाठ्यक्रम परिशिष्ट—3 पर उपलब्ध है।

8—यदि अभ्यर्थी को आन—लाइन आवेदन में कोई कठिनाई हो रही है तो आयोग के 'मैल बाक्स' से अपनी कठिनाई/समस्या का हल प्राप्त कर सकते हैं।

#### Detailed Application Form:

At the online page there is a 'Declaration' for the candidates. Candidates are advised to go through the contents of the Declaration carefully. Candidate has the option to either agree or disagree with the contents of Declaration by clicking on 'I Agree' or 'I do not agree' buttons. In case the candidate opts to disagree, the application will be dropped and the procedure will be terminated. Accepting to 'I Agree' only will submit the candidate's Online Application.

#### Notification Details

This section shows information relevant to Notification i.e. Notification number, selection type, directorate/ department name and post name

#### Personnel Details from OTR

This section shows information about candidate personnel details i.e. OTR Number, candidate name, Father/Husband name, Gender, DOB, UP domicile, Category, Marital status, email and contact number, photo & signature, address, UP Freedom Fighter, Ex Army, service duration and your physical challenges, Skilled Player, Outstanding Player of U.P., Debarred candidate. **Education & Experience Details**

It shows your educational and experience details **Declaration segment**  
At the online page there is a 'Declaration' for the candidates. Candidates are advised to go through the contents of the Declaration carefully.

After filling all above particulars there is provision for preview your detail before final submission of application form on clicking on "Preview" button.

Preview page will display all facts/particulars that you have mentioned in O.T.R. if you are sure with filled details then click on "Submit" button to finally push data into server with successful submission report that you can print.

#### [CANDIDATES ARE ADVISED TO TAKE A PRINT OF THIS PAGE BY CLICKING ON THE "Print" OPTION AVAILABLE]

For other information candidates are advised to select desired option in 'Home Page' of Commission's website <https://uppsc.up.nic.in>

#### IMPORTANT ANNOUNCEMENT

##### :- NOTIFICATIONS/ADVERTISEMENTS

- All Notification/Advertisements

##### :- ONLINE APPLICATION FORMS SUBMISSION

- Candidate Registration

- Fee Deposition/Reconciliation

- Submit Application Form

- Modify Submitted Application

- Candidate Dashboard (OTR Based)

##### :- CANDIDATE'S HELP DESK SECTION

- Double Verification mode

- View Application Status

- Download Admit Card

- Print Duplicate Registration Slip

- Print Detailed Application Form

- List of Applications Having ANY Objections

- View Answer Key

#### LAST DATE FOR RECEIPT OF APPLICATIONS:

On-line Application process must be completed (including filling up of OTR, Part-I, Part-II and Part-III of the Form) before last date of form submission according to Advertisement, after which the web-link will be disabled.

<p><b>परिशिष्ट-1</b> <b>जिन नगरों में परीक्षा आयोजित की जायेगी वे निम्न प्रकार हैं— (1) प्रयागराज एवं (2) लखनऊ</b></p> <p><b>परिशिष्ट-2</b> <b>उठप्रो की अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति के लिये जाति प्रमाण—पत्र</b></p> <p>प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/कुमारी ..... सुपुत्र/सुपुत्री श्री ..... निवासी ..... ग्राम ..... तहसील ..... नगर ..... जिला ..... उत्तर देश राज्य की ..... जाति के व्यक्ति हैं जिसे संविधान (अनुसूचित जाति) आदेश, 1950 (जैसा कि समय—समय पर संशोधित हुआ)/संविधान (अनुसूचित जनजाति, उत्तर प्रदेश) आदेश, 1967 के अनुसार अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के रूप में मान्यता दी गई है।</p> <p>श्री/श्रीमती/कुमारी ..... तथा/अथवा उनका परिवार उत्तर प्रदेश के ग्राम ..... तहसील ..... नगर ..... जिला ..... में सामान्यतया रहता है।</p> <p>स्थान ..... हस्ताक्षर ..... दिनांक ..... पूरा नाम ..... मुहर ..... पद नाम ..... जिलाधिकारी/अतिरिक्त जिलाधिकारी/सिटी मजिस्ट्रेट/परगना मजिस्ट्रेट/तहसीलदार/अन्य वेतन भोगी मजिस्ट्रेट यदि कोई हो/जिला समाज कल्याण अधिकारी।</p> <p>उत्तर प्रदेश के अन्य पिछड़े वर्ग के लिए जाति प्रमाण—पत्र प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/कुमारी ..... सुपुत्र/सुपुत्री श्री ..... निवासी ग्राम ..... तहसील ..... नगर ..... जिला ..... उत्तर प्रदेश राज्य की ..... पिछड़ी जाति के व्यक्ति हैं। यह जाति उठप्रो लोक सेवा (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गों के लिये आरक्षण) (संशोधन) अधिनियम, 1994 (यथासंशोधित) की अनुसूची—एक के अन्तर्गत मान्यता प्राप्त है।</p> <p>यह भी प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/कुमारी ..... पूर्वोक्त अधिनियम, 1994 (यथासंशोधित) की अनुसूची—दो जैसा कि उठप्रो लोक सेवा (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिये आरक्षण) (संशोधन) अधिनियम, 2001 द्वारा प्रतिस्थापित किया गया है एवं जो उठप्रो लोक सेवा (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिये आरक्षण) (संशोधन) अधिनियम, 2002 द्वारा संशोधित की गयी है, से आच्छादित नहीं है। इनके माता—पिता की निरंतर तीन वर्ष की अवधि के लिये सकल वार्षिक आय आठ लाख रुपये या इससे अधिक नहीं है तथा इनके पास धनकर अधिनियम, 1957 में यथा विहित छूट सीमा से अधिक सम्पत्ति भी नहीं है।</p> <p>श्री/श्रीमती/कुमारी ..... तथा/अथवा उनका परिवार उत्तर प्रदेश के ग्राम ..... तहसील ..... नगर ..... जिला ..... में सामान्यतया रहता है।</p> <p>स्थान ..... हस्ताक्षर ..... दिनांक ..... पूरा नाम ..... मुहर ..... पद नाम ..... जिलाधिकारी/अतिरिक्त जिलाधिकारी/सिटी मजिस्ट्रेट/तहसीलदार।</p> <p>(प्रपत्र—I) उत्तर प्रदेश सरकार कार्यालय का नाम..... आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग के सदस्य द्वारा प्रस्तुत किया जाने वाला आय एवं परिसम्पत्ति प्रमाण—पत्र प्रमाण पत्र संख्या..... दिनांक ..... वित्तीय वर्ष ..... के लिए मान्य प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/कुमारी ..... पुत्र/पति/पुत्री श्री ..... ग्राम/कस्बा ..... पोस्ट ऑफिस ..... थाना ..... तहसील ..... जिला ..... राज्य ..... पिन कोड ..... के स्थायी निवासी हैं, जिनका फोटोग्राफ नीचे अभिप्राणित है, आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग के सदस्य हैं, क्योंकि वित्तीय वर्ष ..... में इनके परिवार की कुल वार्षिक आय 8 लाख (आठ लाख रुपये मात्र) से कम है। इनके परिवार के स्वामित्व में निम्नलिखित में से कोई भी परिसम्पत्ति नहीं है:—</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>I. 5 (पाँच) एकड़ कृषि योग्य भूमि अथवा उससे ऊपर।</li> <li>II. एक हजार वर्ग फीट अथवा इससे अधिक क्षेत्रफल का प्लैट।</li> <li>III. अधिसूचित नगरपालिका के अंतर्गत 100 वर्ग गज अथवा इससे अधिक का आवासीय भूखण्ड।</li> <li>IV. अधिसूचित नगरपालिका से इतर 200 वर्ग गज अथवा इससे अधिक का आवासीय भूखण्ड।</li> </ul> <p>(B) he/she is a case of: <ul style="list-style-type: none"> <li>● locomotor disability</li> <li>● dwarfism</li> <li>● blindness</li> </ul> (Please tick as applicable) (C) The diagnosis in his/her case is _____ (D) he/she has _____ % (in figure) _____ percent (in words) permanent locomotor disability/ dwarfism/blindness in relation to his/her _____ (in words) permanent locomotor disability/ dwarfism/ blindness in relation to his/her _____ (part of body) as per guidelines (.....number and date of issue of the guidelines to be specified). 2. The applicant has submitted the following document as proof of residence:-</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Nature of Document</th> <th>Date of Issue</th> <th>Details of authority Issuing certificate</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Signature and seal of the Medical Authority. (Dr. ....) Member Medical Board with seal</td> <td>(Dr. ....) Member Medical Board with seal</td> <td>Chairperson Medical Board with seal</td> </tr> <tr> <td colspan="2">Signature/thumb impression of the person in whose favour certificate of disability is issued</td> <td>Countersigned by the Chief Medical Officer (with seal)</td> </tr> </tbody> </table> <p><b>Form-II Certificate of Disability</b> (In cases of amputation or complete permanent paralysis of limbs or dwarfism and in case of blindness) (Name and Address of the Medical Authority issuing the Certificate)</p> <p>Recent passport size attested photograph (showing face only) of the person with disability</p> <p><b>Certificate No.</b> Date: This is to certify that I have carefully examined Shri/Smt./Kum. _____ son/wife/daughter of Shri _____ Date of Birth (DD/MM/YY) _____ Age _____ years, male/female _____ registration No. _____ permanent resident of House No. _____ Ward/Village/Street _____ Post office _____ District _____ State _____ whose photograph is affixed above, and am satisfied that: (A) he/she is a case of: <ul style="list-style-type: none"> <li>● locomotor disability</li> <li>● dwarfism</li> <li>● blindness</li> </ul> (Please tick as applicable) (B) The diagnosis in his/her case is _____ (C) he/she has _____ % (in figure) _____ percent (in words) permanent locomotor disability/ dwarfism/blindness in relation to his/her _____ (part of body) as per guidelines (.....number and date of issue of the guidelines to be specified). 2. The applicant has submitted the following document as proof of residence:-</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Nature of Document</th> <th>Date of Issue</th> <th>Details of authority Issuing certificate</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Signature and seal of the Medical Authority. (Dr. ....) Member Medical Board with seal</td> <td>(Dr. ....) Member Medical Board with seal</td> <td>Chairperson Medical Board with seal</td> </tr> <tr> <td colspan="2">Signature/thumb impression of the person in whose favour certificate of disability is issued</td> <td>Countersigned by the Chief Medical Officer (with seal)</td> </tr> </tbody> </table> <p><b>Form-III Certificate of Disability</b> (In cases of multiple disabilities) (Name and Address of the Medical Authority/Board)</p>	Nature of Document	Date of Issue	Details of authority Issuing certificate	Signature and seal of the Medical Authority. (Dr. ....) Member Medical Board with seal	(Dr. ....) Member Medical Board with seal	Chairperson Medical Board with seal	Signature/thumb impression of the person in whose favour certificate of disability is issued		Countersigned by the Chief Medical Officer (with seal)	Nature of Document	Date of Issue	Details of authority Issuing certificate	Signature and seal of the Medical Authority. (Dr. ....) Member Medical Board with seal	(Dr. ....) Member Medical Board with seal	Chairperson Medical Board with seal	Signature/thumb impression of the person in whose favour certificate of disability is issued		Countersigned by the Chief Medical Officer (with seal)
Nature of Document	Date of Issue	Details of authority Issuing certificate																
Signature and seal of the Medical Authority. (Dr. ....) Member Medical Board with seal	(Dr. ....) Member Medical Board with seal	Chairperson Medical Board with seal																
Signature/thumb impression of the person in whose favour certificate of disability is issued		Countersigned by the Chief Medical Officer (with seal)																
Nature of Document	Date of Issue	Details of authority Issuing certificate																
Signature and seal of the Medical Authority. (Dr. ....) Member Medical Board with seal	(Dr. ....) Member Medical Board with seal	Chairperson Medical Board with seal																
Signature/thumb impression of the person in whose favour certificate of disability is issued		Countersigned by the Chief Medical Officer (with seal)																

issuing the Certificate)

Recent passport size attested photograph (showing face only) of the person with disability

**Certificate No.**

**Date:**

This is to certify that we have carefully examined Shri/Smt./Kum. \_\_\_\_\_ son/wife/daughter of Shri \_\_\_\_\_ Date of birth (DD/MM/YY) \_\_\_\_\_ age \_\_\_\_\_ years, male/ female \_\_\_\_\_ Registration No. \_\_\_\_\_ permanent resident of House No. \_\_\_\_\_ Ward/Village/ Street \_\_\_\_\_ Post Office \_\_\_\_\_ District \_\_\_\_\_ State \_\_\_\_\_, whose photograph is affixed above, and am satisfied that:

(A) he/she is a case of Multiple Disability. His/her extent of permanent physical impairment/disability has been evaluated as per guidelines (.....number and date of issue of the guidelines to be specified) for the disabilities ticked below, and is shown against the relevant disability in the table below:

S. N.	Disability	Affected part of body	Diagnosis	Permanent physical impairment/mental disability (in%)
1.	Locomotor disability	@		
2.	Muscular Dystrophy			
3.	Leprosy cured			
4.	Dwarfism			
5.	Cerebral Palsy			
6.	Acid attack Victim			
7.	Low Vision	#		
8.	Blindness	#		
9.	Deaf	£		
10.	Hard of Hearing	£		
11.	Speech and Language disability			
12.	Intellectual Disability			
13.	Specific Learning Disability			
14.	Autism Spectrum Disorder			
15.	Mental illness			
16.	Chronic Neurological Conditions			
17.	Multiple sclerosis			
18.	Parkinson's disease			
19.	Haemophilia			
20.	Thalassemia			
21.	Sickle Cell disease			

(B) In the light of the above, his/her over all permanent physical impairment as per guidelines (.....number and date of issue of the guidelines to be specified), is as follows:-

In figures.....percent.

In words.....percent

2. This condition is progressive/non-progressive/likely to improve/not likely to improve.

**3. Reassessment of disability is:-**

- (i) not necessary,
- or
- (ii) is recommended/after..... years..... months, and therefore this certificate shall be valid till (DD/MM/YY).....

Recent passport size attested photograph (showing face only) of the person with disability

**Certificate No.**

**Date:**

This is to certify that I have carefully examined Shri/Smt./Kum. \_\_\_\_\_ son/wife/daughter of Shri \_\_\_\_\_ Date of birth (DD/MM/YY) \_\_\_\_\_ age \_\_\_\_\_ years, male/ female \_\_\_\_\_ Registration No. \_\_\_\_\_ permanent resident of House No. \_\_\_\_\_ Ward/Village/ Street \_\_\_\_\_ Post Office \_\_\_\_\_ District \_\_\_\_\_ State \_\_\_\_\_, whose photograph is affixed above and satisfied that he/she is a case of disability.

His/her extent of percentage physical impairment/disability has been evaluated as per guidelines (.....number and date of issue of the guidelines to be specified) and is shown against the relevant disability in the table below:-

S. N.	Disability	Affected part of body	Diagnosis	Permanent physical impairment/mental disability (in%)
1.	Locomotor disability	@		
2.	Muscular Dystrophy			
3.	Leprosy cured			
4.	Dwarfism			
5.	Cerebral Palsy			
6.	Acid attack Victim			
7.	Low Vision	#		
8.	Blindness	#		
9.	Deaf	£		
10.	Hard of Hearing	£		
11.	Speech and Language disability			
12.	Intellectual Disability			
13.	Specific Learning Disability			
14.	Autism Spectrum Disorder			
15.	Mental illness			
16.	Chronic Neurological Conditions			
17.	Multiple sclerosis			
18.	Parkinson's disease			
19.	Haemophilia			
20.	Thalassemia			
21.	Sickle Cell disease			

(Please strike out the disabilities which are not applicable)

2. The above condition is progressive/non-progressive/likely to improve/not likely to improve.

**3. Reassessment of disability is:-**

- (i) not necessary, or
  - (ii) is recommended/after..... years..... months, and therefore this certificate shall be valid till (DD/MM/YY).....
- @ - e.g. Left/right/both arms/legs  
# - e.g. Single eye/both eyes  
£ - e.g. Left/Right/both ears

**4. Signature and seal of the Medical Authority.**

Name and Seal of Member	Name and Seal of Member	Name and Seal of the Chairperson
Signature/thumb impression of the person in whose favour certificate of disability is issued	Countersigned by the Chief Medical Officer (with seal)	Countersigned by the Chief Medical Officer (with seal)

उत्तर प्रदेश लोक सेवा (शारीरिक रूप से विकलांग, स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के आश्रितों और भूतपूर्व सैनिकों के लिये आरक्षण) अधिनियम, 1993 (यथासंशोधित) के अनुसार स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के आश्रित के लिए प्रमाण-पत्र

प्रमाण-पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि श्री/ श्रीमती/ कुमारी ..... निवासी..... ग्राम..... तहसील ..... नगर.....

जिला ..... उत्तर प्रदेश लोक सेवा (शारीरिक रूप से विकलांग, स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के आश्रित और भूतपूर्व सैनिक के लिये आरक्षण) अधिनियम, 1993 के अनुसार स्वतंत्रता संग्राम सेनानी हैं और श्री/ श्रीमती/ कुमारी (आश्रित) .....

पुत्र/ पुत्री/ पौत्र (पुत्र का पुत्री का पुत्री का पुत्री) तथा पौत्री (पुत्र की पुत्री का पुत्री की पुत्री) (विवाहित अथवा अविवाहित) उपरांकित अधिनियम, 1993 (यथासंशोधित) के प्राविधानों के अनुसार उक्त श्री/ श्रीमती (स्वतंत्रता संग्राम सेनानी) .....

के आश्रित हैं।

स्थान: हस्ताक्षर .....

दिनांक: पूरा नाम .....

मुहर .....

जिलाधिकारी .....

सील .....

कुशल खिलाड़ियों के लिये प्रमाण-पत्र जो उ.प्र. के मूल निवासी हैं शासनादेश संख्या-22/21/1983-कार्यक्रम-2 दिनांक 28 नवम्बर, 1985

प्रमाण-पत्र के फार्म - 1 से 4

**प्रारूप -1**

(मान्यता प्राप्त क्रीड़ा/खेल में अपने देश की ओर से अन्तर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता में भाग लेने वाले खिलाड़ी के लिये)

सम्बन्धित खेल की राष्ट्रीय फेडरेशन/राष्ट्रीय एसोसिएशन का नाम .....

राज्य सरकार की सेवाओं/पदों पर नियुक्ति के लिए कुशल खिलाड़ियों के लिए प्रमाण-पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि श्री/ श्रीमती/ कुमारी ..... आत्मज/पत्नी/आत्मजा श्री ..... निवासी ..... पूरा पता ..... ने

दिनांक ..... से दिनांक ..... तक ..... (स्थान का नाम) में आयोजित ..... (क्रीड़ा/खेल-कूद का नाम) की प्रतियोगिता/टूर्नामेन्ट में देश की ओर से भाग लिया।

उनके टीम के द्वारा उक्त प्रतियोगिता/टूर्नामेन्ट में खेल कूद का नाम दिया गया।

यह प्रमाण-पत्र राष्ट्रीय फेडरेशन/राष्ट्रीय एसोसिएशन/ (यहाँ संस्था का नाम दिया जाये) में उपलब्ध रिकार्ड के आधार पर दिया गया है।

स्थान ..... हस्ताक्षर .....

दिनांक ..... नाम .....

पद .....

संस्था का नाम .....

मुहर .....

नोट : यह प्रमाण-पत्र नेशनल फेडरेशन/नेशनल एसोसिएशन के सचिव द्वारा व्यक्तिगत रूप से किये गये हस्ताक्षर होने पर ही मान्य होगा।

**प्रारूप - 2**

(मान्यता प्राप्त क्रीड़ा/खेल में अपने प्रदेश की ओर से राष्ट्रीय प्रतियोगिता में भाग लेने वाले खिलाड़ी के लिये)

(सम्बन्धित खेल की प्रदेशीय एसोसिएशन का नाम) .....

राज्य सरकार की सेवाओं/पदों पर नियुक्ति के लिए कुशल खिलाड़ियों के लिए प्रमाण-पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि श्री/ श्रीमती/ कुमारी ..... आत्मज/पत्नी/आत्मजा श्री ..... निवासी (पूरा पता) ..... ने दिनांक ..... से दिनांक ..... तक ..... (क्रीड़ा/खेल-कूद का नाम) की प्रतियोगिता/टूर्नामेन्ट स्थान का नाम) ..... आयोजित राष्ट्रीय ..... में (क्रीड़ा/खेल-कूद का नाम) की प्रतियोगिता/टूर्नामेन्ट में प्रदेश की ओर से भाग लिया।

उनके टीम के द्वारा उक्त प्रतियोगिता/टूर्नामेन्ट में खेल कूद स्थान प्राप्त किया गया।

यह प्रमाण-पत्र (प्रदेशीय संघ का नाम) में उपलब्ध रिकार्ड के आधार पर दिया गया है।

स्थान ..... हस्ताक्षर .....

दिनांक ..... नाम .....

पद .....

संस्था का नाम .....

पता .....

मुहर .....

नोट : यह प्रमाण-पत्र प्रदेशीय खेल-कूद संघ के सचिव द्वारा व्यक्तिगत रूप से किये गये हस्ताक्षर होने पर ही मान्य होगा।

**प्रारूप - 3**

(मान्यता प्राप्त क्रीड़ा/खेल में अपने विश्वविद्यालय की ओर से अन्तर्राष्ट्रीय विश्वविद्यालय की लिये)

विश्वविद्यालय का नाम ..... राज्य स्तर की सेवाओं/पदों पर नियुक्ति के लिए कुशल खिलाड़ियों के लिए प्रमाण-पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि श्री/ श्रीमती/ कुमारी ..... आत्मज/पत्नी/आत्मजा श्री ..... निवास (पूरा नाम) .....

विश्वविद्य

(2) सामान्य हिन्दी (वस्तुनिष्ठ) 50 अंक (3) कम्प्यूटर ज्ञान (वस्तुनिष्ठ) 50 अंक <b>कुल योग</b> 150 अंक	उपर्युक्त प्रथम चरण की परीक्षा परिणाम के अनुसार 15 गुना अभ्यर्थी सफल घोषित किये जायेंगे और सफल अभ्यर्थी द्वितीय चरण की परीक्षा में सम्मिलित होंगे।	4. विज्ञान 5. भूगोल (उ0प्र0 तथा भारत से सम्बन्धित) 6. भारत का संविधान 7. खेल जगत 8. महत्वपूर्ण नगर स्मारक एवं इमारतें (भारत व उ0प्र0 के संदर्भ में) 9. महत्वपूर्ण राष्ट्रीय एवं अन्तर्राष्ट्रीय घटानाएं 10. अंक गणित (कक्षा-8 स्तरीय)	(power point, PDF etc.) with different styles and animations.
<b>द्वितीय चरण</b> <b>(II) आशुलिपि टेस्ट, कम्प्यूटर टाइप टेस्ट</b>		<b>खण्ड-बी</b> <b>सामान्य हिन्दी</b> 50 अंक	<b>द्वितीय चरण की परीक्षा योजना</b> <b>(II) आशुलिपि (हिन्दी) / कम्प्यूटर टाइप</b> 75 अंक
परीक्षा योजना पूर्णांक-100 अंक समय-1 घंटा 30 मिनट	(1) आशुलिपि (हिन्दी) 75 अंक (2) कम्प्यूटर टाइप 25 अंक	1. अपठित गद्यांश और प्रश्नोत्तर तथा अपठित गद्यांश शीर्षक 2. पत्र एवं कार्यालयीय विभिन्न पत्रों का आलेखन 3. मुहावरे, लोकोक्तियाँ तथा उनका प्रयोग 4. अनेक शब्दों का एक शब्द 5. वाक्यों का शुद्धिकरण 6. पर्यायवाची तथा विलोम शब्द 7. शब्दों के अर्थ-हिन्दी से अंग्रेजी एवं अंग्रेजी से हिन्दी (कक्षा-10 स्तरीय)	(80 शब्द प्रति मिनट डिवटेशन 5 मिनट का तथा लिप्यंत्रण हेतु समय 60 मिनट)
उपर्युक्त दोनों चरणों की परीक्षा में न्यूनतम मानकों पर जो अभ्यर्थी सफल होंगे, वही अभ्यर्थी तृतीय चरण की परीक्षा में सम्मिलित होंगे।	<b>तृतीय चरण</b> <b>(III) कम्प्यूटर प्रैक्टिकल प्रश्न-पत्र</b>	<b>खण्ड-सी</b> <b>कम्प्यूटर ज्ञान</b> 50 अंक	<b>तृतीय चरण की परीक्षा योजना</b> <b>(III) कम्प्यूटर प्रैक्टिकल</b> 50 अंक
परीक्षा योजना पूर्णांक-50 अंक समय-1 घंटा	(1) कम्प्यूटर प्रैक्टिकल 50 अंक	1. Basic knowledge of working on Windows System Platforms on desktops and laptops with peripherals like Printer, Scanner, Microphone and Speaker. 2. Working knowledge of Microsoft office package (Microsoft word, Excel, Power point etc.) 3. Conversant in the use of World Wide Web and popular websites (for Railway/Air Reservation, search engines like Google, information websites like wikipedia etc.) 4. Working Knowledge of E-mailing (sending, sending with attachment, reading, saving, printing, maintaining address book etc.) 5. Working Knowledge of preparation of presentations	1. Working Knowledge of E-mailing (sending, sending with attachment, reading, saving, printing, maintaining address book etc.) 2. Conversant in the use of World Wide Web and popular websites (for Railway/Air Reservation, search engines like Google, information websites like wikipedia etc.) 3. Hands on Microsoft office. (1) Word, Excel, power Point. (i) Document writing, (ii) for mailing, (iii) punctuation insertion of table diagrams. (2) Making of Power Point Presentation. 4. Use of formulae and calculations on excel sheet.
उपर्युक्त चयन तीनों चरणों की परीक्षा के अंकों को जोड़कर श्रेष्ठता के आधार पर किया जायेगा।	<b>पाठ्यक्रम</b> <b>(प्रथम चरण की परीक्षा)</b> <b>(I) सामान्य ज्ञान, सामान्य हिन्दी तथा कम्प्यूटर ज्ञान</b> <b>खण्ड-ए</b> <b>सामान्य ज्ञान</b> 50 अंक	1. शब्द संक्षेप 2. प्रसिद्ध पुस्तकों एवं लेखक 3. इतिहास (प्राचीन, मध्यकालीन एवं आधुनिक भारत के सन्दर्भ में)	नोट:- आशुलिपि कौशल एवं टंकण परीक्षा हेतु क्रुति देव (Kruit Dev-10) फाण्ट के साथ-साथ मंगल फाण्ट का भी विकल्प दिया जायेगा। (विज्ञाप्ति सं0नं0 03 / 11 / ई-6 / 2022-23, दिन 02 मई, 2023)
			सचिव